रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II —Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1983/भाद्र 21, 1905
No. 335] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 1983/BHADRA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1983

सं. 262/83—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 697(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 193/82-

सीमाशुल्क, तारीख 17 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, मद सं. (5) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) तट रक्षक के जलयानों या पोतों के सन्निर्माण या फिटिंग के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और घटक ।"

[फा. सं. 355/145/83-सी.शु. 1]
एन. शशिधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1983

NO. 262|83—CUSTOMS

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Deparment of Revenue) No. 193|82—Customs, dated the 17th August, 1982, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after item No. (5) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely :—

"(6) Raw materials and components required for construction of, or fitment to, the vessels or ships of Coast Guard.".

[F. No. 355|145|83-Cus.I]
N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983